न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 606/2023

मीनादेवी पुत्री दाऊलाल पत्नी रामदयाल माली
निवासी भाकर बारा, बासनी तम्बोलिया,
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. ओमादेवी पत्नी दाऊलाल के कायममुकामान–
   1.1. उच्छबसिंह पुत्र दाऊलाल जाति माली
   निवासी सिद्धनाथ रोड, दाऊजी का फार्म हाउस,
   सूथला, जोधपुर
   1.2. चन्दनसिंह पुत्र दाऊलाल जाति माली
   निवासी सिद्धनाथ रोड, दाऊजी का फार्म हाउस,
   सूथला, जोधपुर
   1.3. दिनेश कुमार के कायममुकामान–
   1.3.1.रेणु प्रथम–पत्नी दिनेश कुमार जाति माली
   निवासी सूथला तहसील व जिला जोधपुर
   हाल मुकाम अजमेर
   1.3.2.पारूल पुत्री दिनेश कुमार जाति माली
   निवासी अजमेर
   1.3.3.विपाशा उर्फ मुन्नी पुत्री दिनेश कुमार जाति माली,
   निवासी सूथला तहसील व जिला जोधपुर
   1.3.4.शिवांगी उर्फ छोटू पुत्री दिनेश कुमार जाति माली
   निवासी सूथला तहसील व जिला जोधपुर
   1.3.5.रिषी पुत्र दिनेश कुमार जाति माली
   निवासी सूथला तहसील व जिला जोधपुर
2. इन्द्रा पुत्री दाऊलाल पत्नी दुर्गसिंह कच्छवाह जाति माली,
   निवासी प्लाट नम्बर 8, अमरसिंह मार्ग,
   नागौरी गेट के बाहर जोधपुर
3. चन्द्रा पुत्री दाऊलाल पत्नी चन्द्रसिंह सांखला जाति माली
   निवासी सांखलों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
4. अनिता पुत्री दाऊलाल पत्नी महेन्द्र कुमार चौहान जाति माली,
   निवासी सैनिक गली, मेडती गेट के अन्दर, जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5. प्रमीला पुत्री दाऊलाल पत्नी जवाहरजी कच्छवाह जाति माली
   निवासी दाऊजी की पोल सूथला, जोधपुर
6. मूलदेवी के कायममुकामान–
   6.1. ललित परिहार पुत्र दाऊलाल जाति माली,
   निवासी दाऊजी की पोल सूथला
   तहसील व जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार
   जरिये भूमिधारी तहसीलदार
   जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर दिनारंक 24 जनवरी 1994 प्रकरण संख्या 09/1993 चन्दनसिंह व अन्य बनाम मूलीदेवी इत्यादि

उपस्थित–
श्री एस.एल. सांखला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री कैलाश कुमार प्रजापत, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1.3.4, 1.3.5 व 5
श्री हेमराज सोनी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1.1, 2 व 3
रेस्पो. संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 29 अप्रेल 2024

अपीलाण्ट ने प्रकरण संख्या 09/1993 चन्दनसिंह व अन्य बनाम मूलीदेवी इत्यादि में तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 जनवरी 1994 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपीलाण्ट की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. चन्दनसिंह ने एक प्रार्थनापत्र पेश का आराजी अपने पिता दाऊलाल पुत्र भेरूलाल गहलोत का देहान्त 08 जनवरी 1991 को हो जाना जाहिर किया और

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निवेदन किया कि दाऊलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी एवं गैरखातेदारी की समस्त आराजियात उनके उत्तराधिकारियों श्रीमती उमादेवी पत्नी दाऊलाल, उच्छबसिंह, विक्रमसिंह, चन्दनसिंह, दिनेश पिसरान दाऊलालद्ध के नाम दर्ज की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संस्थित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र के संलग्न दस्तावेजात (मृत्यु प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, निर्वाचन सूची आदि) के आधार पर संबंधित को जरिये नोटिस तलब किया गया और बाद आवश्यक कार्यवाही उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 जनवरी 1994 स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने मामले के तथ्यों एवं अपनी लिखित बहस में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 956 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 961 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 963 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 964 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 967 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 968 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 06 बिस्वा अपीलाण्ट के पिता दाऊलाल जी खातेदारी की भूमि थी, दाऊलालजी द्वारा दो विवाह (प्रथम विवाह ओमादेवी से तथा द्वितीय विवाह मूलदेवी से) किये गये। दाऊलालजी को प्रथम पत्नी ओमादेवी से प्राप्त संतान उच्छबसिंह, विक्रमसिंह, चन्दनसिंह, दिनेश, इन्द्रा, चन्दा, अनिता एवं प्रमिला है तथा मूलीदेवी से ललित एवं अपीलाण्ट मीना का जन्म हुआ। दोनों विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व किये गये, अतः दोनों विवाह विधिसम्मतः होने से दाऊलालजी को दोनों पत्नियों से उत्पन्न संतान उनकी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते है। दाऊलालजी का देहान्त दिनांक 08 जनवरी 1991 को हुआ, उस समय अपील में वर्णितान सजरा खानदान के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट, जो की मृतक दाऊलालजी की पुत्री एवं प्रथम श्रेणी की वारिस है, का ⅓ हक–हिस्सा विरासतन बनता है और मौके पर बहैसियत सहखातेदार अपीलाण्ट का अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त भी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2023 को अपनी कृषि भूमि के खाते की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हळका से सम्पर्क किया जो पटवारी हळका द्वारा म्युटेशन संख्या 306 एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 1994 बाबत जानकारी दी, तदनुसार जिनकी प्रमाणित नकलें प्राप्त करने की कार्यवाही की, जो नकलें दिनांक 07 नवम्बर 2023 को प्राप्त होने पर विदित हुआ कि प्रार्थी–रेस्पो. के प्रार्थनापत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजियात बाबत स्व. दाऊलाल की पुत्रियों को वंचित करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 1994 पारित कर म्युटेशन संख्या 306 स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व मृतक दाऊलालजी की पुत्रियो, जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है, को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया जबकि ऐसा किया जाना राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121(4) के अनुसार अनिवार्य है। मृतक के सभी विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित अपीलाधीन आदेश शून्य प्रभावी है और ऐसे आदेश के खिलाफ चाराजोई के मामले में मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने न्यायालय का ध्यान 2002(1) आरआरटी 269, 1989 आरआरबी 45, 1996 आरआरबी 425 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी 61/2000 श्योबाई व अन्य बनाम शिम्भु इत्यादि में धारित मत की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक रिपोर्टेबल जजमेण्ट सन्1977ए.सी.सी.(2) 49 सीताराम भाऊ पाटिल बनाम रामचन्दा नागो पाटिल के संदर्भ से कथन किया कि जहॉ समुचित साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड गलत होना प्रकट किया जावे तो उस स्थिति में राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को सही होना अभिधारित नहीं किया जाना चाहिये। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा म्युटेशन स्वीकृत किये जाने के पूर्व मौके पर भौतिक कब्जा का भी सत्यापन नहीं किया गया, जबकि 1995 आरआरटी 141 में धारित मतानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपील अन्दरमियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने एवं वादग्रस्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता–रेस्पो. ने मियाद प्रार्थनापत्र का लिखित जबाब पेश किया और कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एवं म्युटेशन बाबत अपीलाण्ट को प्रारम्भ से ही पुख्ता जानकारी रही है। अपीलाण्ट व उसके भाई की ओर से वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 92ए व 188 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर के समक्ष दिनांक 07 अक्तूबर 2011 को राजस्व वाद संख्या 430/2011 प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 12 नवम्बर 2016 को जरिये विड्रा खारिज हुआ। जिससे भी जाहिर है कि अपीलाधीन आदेश एवं म्युटेशन बाबत अपीलाण्ट को बरसों पहले जानकारी हो चुकी थी। इतना ही नहीं, कालान्तर में अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को स्व. दाऊलाल की संतान घोषित करवाने एवं इस आधार पर स्व. दाऊलाल की चल–अचल सम्पत्ति विरासतन प्राप्त करने के लिए दीवानी मूल वाद संख्या 711/2023 मीना बनाम ललित व अन्य माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) जोधपुर के समक्ष पेश किया गया, जिससे भी अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं म्युटेशन की जानकारी काफी समय पूर्व हो जाना प्रकट होता है। अदालत हाजा के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील अत्याधिक विलम्ब से तथा तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत की गयी है जो मात्र मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता–रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है जिससे मूलदेवी के साथ दाऊलालजी के विवाह की कोई तारीख अथवा स्वयं अपीलाण्ट के जन्म की तारीख स्पष्ट हो सके। उत्तराधिकार का विनिश्चयन राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही म्युटेशन संबंधित अपील की कार्यवाही में खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन किया जा सकता है। अपीलाण्ट सद्भावनापूर्वक (with clean hands) न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद बाधित, मिथ्या कथनों पर आधारित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो. संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 1994 व उसके अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन के खिलाफ आलौच्य अपील दिनांक 24 नवम्बर 2023 को करीब 29 साल के बाद प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित, संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थीगण मूली देवी, ललित एवं मीना द्वारा स्वयं को मृतक दाऊलाल के वारिसान होना जाहिर करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किये जाने बाबत पेश प्रार्थनापत्र (पेज 37 से पेज 40) उपलब्ध है। साथ ही विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17 फरवरी 1993 के अनुसार मूलीदेवी, मीना एवं स्वयं अपनी ओर से ललित पुत्र दाऊलाल विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना तथा उसके द्वारा प्रार्थनापत्र (जो विचारण न्यायालय में पेज 71–72 उपलब्ध है) पेश किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व अपीलाण्ट सहित सभी पक्षकारान को तलब किया जाना एवं विचारण न्यायालय में हुई कार्यवाही बाबत अपीलाण्ट को जानकारी होना भली–भांति सिद्ध होता है। इसके अलावा समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों के समक्ष वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रस्तुत वाद एवं उत्तराधिकार संबंधित की गयी चाराजोई से भी प्रकट होता है कि राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत स्वयं का नाम दर्ज नहीं होने बाबत अपीलाण्ट को जानकारी काफी समय पूर्व से ही रही है। इन परिस्थितियों में मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें, जिनका अदालत हाजा सम्मान करती है, तथ्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाने से अपील प्रस्तुत करने में हुए अत्याधिक विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विचारण न्यायालय की पत्रावली में दाऊलाल की पुत्रियों – इन्द्रा पत्नी दुर्गसिंह, चन्द्रा पत्नी चन्द्रसिंह सांखला, अनिता पत्नी महेन्द्रकुमार एवं प्रमिला पत्नी जवाहर (रेस्पो. संख्या 2 से 4) की ओर से प्रस्तुत घोषणा पत्र (पेज 31) उपलब्ध है जिसमें इनके द्वारा अपने पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के हिस्से बाबत कोई अधिकार नहीं जताते हुए अपने पिता की जायदाद अपने भाईयों एवं माता के नाम किये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। जहॉ तक मृतक खातेदार दाऊलाल द्वारा दो विवाह किये जाने, दोनों विवाह वैध होने, अपीलाण्ट मृतक खातेदार दाऊलाल की द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने आदि तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विनिश्चयन किया जाना अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस संबंध में अपीलाण्ट सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। सक्षम सिविल न्यायालय से अपीलाण्ट के पक्ष में उत्तराधिकार संबंधित कोई निर्णय/आदेश पारित होना अपीलाण्ट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 1994 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया जाना पाया जाता है जिसमें वर्तमान अपील स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः अपील अपीलाण्ट मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 1994 एवं उसके अनुसरण में म्युटेशन की कार्यवाही यथावत रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29 अप्रेल 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर